सिविल विविध

मेहर सिंह, मुख्य न्यायाधीश और बी.आर.तुली, न्यायमूर्ति

सियालकोट सिल्क स्टोर्स- याचिकाकर्ता

बनाम

मुख्य आयुक्त, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, -

प्रतिवादी।

1968 की सिविल रिट संख्या 2199

7 अगस्त, 1968

पंजाब सामान्य कर अधिनियम (1948 का XLVI) - धारा 6 (2) और अनुसूची B - पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (1966 का XXXI) - धारा 2 (जी) और 88 - 1 नवंबर, 1966 से पहले मौजूदा पंजाब राज्य 1948 के अधिनियम XLVI की धारा 6 (2) के तहत अधिसूचना जारी

करना जिसमें अधिनियम की अनुसूची बी में संशोधन करने के इरादे को इंगित किया गया है - ऐसी अधिसूचना - क्या 196 के अधिनियम XXXI के 2 (g) में परिभाषित 'कानून' है। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने धारा 6(2) के तहत पूर्व-अपेक्षित अधिसूचना के बिना 1948 के अधिनियम XLVI की अनुसूची में संशोधन किया - ऐसा संशोधन - चाहे वह वैध हो - 1966 के अधिनियम XXXI की धारा 88 - क्या आकर्षित है।

अभिनिर्धारित किया कि 1 नवंबर, 1966 से पहले "मौजूदा पंजाब राज्य" द्वारा पंजाब सामान्य बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत जारी एक अधिसूचना, जिसमें उस अधिनियम की अनुसूची बी में आइटम 30 में संशोधन करने के अपने इरादे के बारे में तीन महीने का नोटिस दिया गया था, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 2 (जी) में परिभाषित "कानून" नहीं है। 1966 की धारा 31, क्योंकि न्यायालय 'मौजूदा पंजाब राज्य' को अधिसूचना

में व्यक्त अपने इरादे को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। उस अधिसूचना को जारी करने के बाद, इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अभ्यावेदन या आपत्तियों पर, 'मौजूदा पंजाब राज्य' को अपना इरादा बदलने का अधिकार था। उसके पास अपने इरादे को पूरा करने या न करने का विकल्प था। एक न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उस अधिसूचना को लागू नहीं कर सकता था या मान्यता देने का अवसर नहीं दे सकता था ताकि नामांतरण और अनुसूची बी से अधिनियम 46 और 194 में मद 30 में संशोधन करने के लिए आगे बढ़ना। इसमें कोई संदेह नहीं है किअधिसूचना 1948 के अधिनियम ए की धारा 6 की उप-धारा (2) में राज्य सरकार को दी गई वैधानिक शक्ति के अनुसरण में और उसके तहत थी, इस प्रकार यह अपने आप में एक वैध अधिसूचना थी। लेकिन 1966 के अधिनियम 31 की धारा 2 (जी) के अनुसार 'कानून' शब्द की परिभाषा का उत्तर देने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है कि

अधिसूचना वैध होनी चाहिए, लेकिन जो आवश्यक है वह यह है कि इसे लागू किया जाना चाहिए, या इसकी मान्यता के लिए एक अवसर उत्पन्न होना चाहिए।

पैरा 5

अभिनिर्धारित किया कि 1 नवंबर, 1966 को और जब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ अस्तित्व में आया, तो इसके मुख्य आयुक्त सक्षम प्राधिकारी हैं जो 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जो उस अधिनियम की अनुसूची बी के किसी भी हिस्से में संशोधन करने के अपने इरादे को उचित नोटिस के साथ इंगित करते हैं। पंजाब अधिनियम, 1948 की धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत 1 नवंबर 1966 से पहले जारी मौजूदा पंजाब राज्य की एक पूर्व अधिसूचना, तारीख से पहले कानून नहीं थी और 1966 के अधिनियम 31 की धारा 2 (जी) में परिभाषित 'कानून' शब्द के अर्थ और दायरे

के भीतर उस तारीख के बाद कानून नहीं रही है। परिणामस्वरूप कि अंतिम उल्लिखित अधिनियम की धारा 88 इसके प्रति आकर्षित नहीं है, और इस प्रकार उस अधिसूचना में कानून का वह बल नहीं है जिसके आधार पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा किए गए अंतिम संशोधन को पंजाब अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) की शर्तों में किया जा सकता था, 1948 का 46।

(पैरा 5 और 7)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि मुख्य आयुक्त, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ द्वारा 1 जनवरी, 1968 को जारी अधिसूचना को रद्द करते हुए कोई उचित रिट या निर्देश जारी किया जाए।पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की अनुसूची 'बी' की धारा 30

एस.के. जैन, आर.के. छिब्बर और एम.आर. शर्मा, वकील,

याचिकाकर्ता के लिए।

डी दीवान, डिप्टी एडवोकेट-जनरल, हरियाणा और एस.एस. प्रतिवादी के लिए दीवान, वकील, उनके साथ।

निर्णय

मेहर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 31) में। नियत दिन 1 नवंबर, 1966 है। उस अधिनियम की धारा 2 (एफ) में कहा गया है कि 'मौजूदा पंजाब राज्य' से पंजाब राज्य अभिप्रेत है, जो नियत दिन से ठीक पहले विद्यमान है, अर्थात 1 नवंबर, 1966 से पहले- संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ उस अधिनियम की धारा 2 (एम) के अनुसार, 'मौजूदा पंजाब राज्य' के उत्तराधिकारी राज्यों में से एक है।

(2)पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 (1948 का पंजाब अधिनियम 46) में, धारा 6 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अपने इरादे के बारे में कम से कम तीन महीने की सूचना देने के बाद, अधिसूचना द्वारा अनुसूची बी से जोड़ या हटा सकती है और उसके बाद अनुसूची बी को तदनुसार संशोधित माना जाएगा। इस अधिनियम की अनुसूची बी में उन मदों का उल्लेख किया गया है जिन पर उसी अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) की शर्तों के अधीन और शर्तों में कोई कर देय नहीं है। 'मौजूदा पंजाब राज्य' ने 24 अगस्त, 1966 को 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत एक अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें उस अधिनियम की अनुसूची बी में आइटम 30 में संशोधन करने के अपने इरादे की सूचना दी गई। नोटिस स्पष्ट रूप से तीन

महीने का होना चाहिए था और इसलिए, जिस तारीख को इसे समाप्त होना था, वह 24 नवंबर, 1966 थी। इसलिए 'मौजूदा पंजाब राज्य' उस अधिसूचना के तहत अपने इरादे को पूरा नहीं कर सका क्योंकि इस बीच 1 नवंबर, 1966 को 'मौजूदा पंजाब राज्य' का पुनर्गठन किया गया और इसके उत्तराधिकारी राज्यों में से एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ रहा है। इस प्रकार 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस के लिए अपेक्षित तीन महीने का समय केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अस्तित्व में आने के बाद समाप्त हो गया।

(3) 5 जनवरी, 1968 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त ने 4 जनवरी, 1968 के चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र (असाधारण) में एक अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की अनुसूची बी में आइटम 30 में संशोधन

किया गया, जो 'मौजूदा पंजाब राज्य' द्वारा उस अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत पहले से ही जारी नोटिस के अनुसरण में था। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त ने उस अधिनियम की अनुसूची बी में मद 30 में संशोधन करने के चंडीगढ़ प्रशासन के इरादे की उस अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) की शर्तों में तीन महीने का नोटिस देते हुए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त द्वारा जारी इस अंतिम उल्लिखित अधिसूचना की वैधता और संवैधानिक वैधता याचिकाकर्ता चंडीगढ़ के सियालकोट सिल्क स्टोर्स द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस याचिका में चुनौती का विषय है। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 के मद्देनजर, 1948 का पंजाब अधिनियम 46 कानून लागू है। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उस प्रावधान के मद्देनजर यह केंद्र सरकार थी जो पंजाब अधिनियम 46 की धारा 6

की उप-धारा (2) के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए आगे बढ़ सकती थी।

1948 के आदेश में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त को नहीं, बल्कि प्रतिवादी की रिटर्न में पूरा जवाब यह है कि अधिसूचना संख्या 1948 के तहत 2010-19 के आदेश के अनुसार। 1 नवंबर, 1966 के एसओ 3269 के अनुसार, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। इसलिए यह विवाद स्पष्ट रूप से प्रबल नहीं हो सकता है।

(4) 1966 के अधिनियम 31 में, भाग II 'मौजूदा पंजाब राज्य' के पुनर्गठन से संबंधित है, और इस अधिनियम की धारा 88 में कहा गया है कि "भाग II के प्रावधानों को उन क्षेत्रों में कोई बदलाव करने वाला नहीं माना जाएगा, जिन पर नियत दिन से ठीक पहले लागू कानून लागू होता है। और पंजाब राज्य के लिए ऐसे किसी भी कानून में क्षेत्रीय संदर्भ, जब तक कि किसी सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, का अर्थ उस राज्य के भीतर के क्षेत्रों से नियत दिन से ठीक

पहले लगाया जाएगा। नतीजतन, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, 1948 का पंजाब अधिनियम 46 चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश में लागू कानून बना हुआ है, 1966 के अधिनियम 31 की धारा 2 (जी) में 'कानून' शब्द को 'किसी भी अधिनियमन, अध्यादेश, विनियमन, आदेश, कानून, नियम, योजना, अधिसूचना या अन्य साधन द्वारा, नियत दिन से ठीक पहले, शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। पूरे पंजाब राज्य में या मौजूदा राज्य के किसी भी हिस्से में कानून का बल। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1948 का पंजाब अधिनियम 46 'कानून' शब्द की इस परिभाषा का उत्तर देता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 24 अगस्त, 1966 को प्रकाशित 'मौजूदा पंजाब राज्य' की अधिसूचना, जो उस अधिनियम की अनुसूची बी, आइटम 30 में संशोधन करने के अपने इरादे को इंगित करती है, उस शब्द के दायरे में आती है? इस संबंध में पक्षकारों के

विद्वान वकील ने एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड, बेवरा बनाम एडवर्ड मिल्स कंपनी का उल्लेख किया है। अजमेर राज्य [1], भीकुसा यमसा क्षत्रिवा बनाम संगमनेर अकोला तालुका बिड़ी कामगार यूनियन[2] जयंतीलाल अमरतलाल शोधन वी. ई. एन. राणा[3], और राज कुमार नरसिंह प्रताप सिंह देव वी. उड़ीसा राज्य[4], जिस मामले में कानून शब्द का अर्थ विद्वान न्यायाधीश के विचारार्थ आया था, लेकिन वे मामले सहायक नहीं हैं क्योंकि यदि यहां तर्क यह था कि क्या संघ के मुख्य आयुक्त द्वारा जारी अंतिम अधिसूचना

1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत चंडीगढ़ का क्षेत्र कानून था या नहीं था, तो उन मामलों में

[1] ए.आई.आर. 1955 एस.सी.
[2] ए.आई.आर. 1960 बोम। 299
[3] ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 648.
[4] ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 1793

कुछ मदद मिल सकती थी, लेकिन उन मामलों में से एक भी, तथ्यों पर, वर्तमान याचिका में उठने वाले प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है, अर्थात, क्या मूर्ति के संशोधन के लिए आवश्यक शर्त के रूप में अधिसूचना कानून है या नहीं। इसलिए, किसी भी राय में, उन मामलों में से कोई भी वर्तमान मामले में कोई मदद नहीं करता है। पक्षकारों के विद्वान वकीलों ने इसे स्वीकार कर लिया है और उन्होंने आगे कहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है जो वर्तमान याचिका में उठने वाले प्रश्न पर सीधे बिंदु पर हो।

(5) यहां प्रश्न यह है कि क्या 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 6 की उपधारा (2) के तहत 24 अगस्त को 'मौजूदा पंजाब राज्य' द्वारा जारी और प्रकाशित पहली अधिसूचना, जिसमें उस अधिनियम की अनुसूची बी में आइटम 30 में संशोधन करने के अपने इरादे को दर्शाया गया है, 1966 के अधिनियम 31 की

धारा 2 (जी) में परिभाषित 'कानून' शब्द के दायरे में है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिभाषा समावेशी है, लेकिन पार्टियों की ओर से तर्क केवल उस परिभाषा में शामिल होने तक ही सीमित रहा है, और इससे परे कुछ भी आग्रह नहीं किया गया है। फिर यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह अधिसूचना 'कानून के बल वाली अधिसूचना' है? कानून का क्या बल है, वह है जो कानून की अदालत में या उसके माध्यम से लागू किया जा सकता है, और यह 1966 के अधिनियम 31 की धारा 2 (जी) में इस्तेमाल की गई भाषा पर आगे बढ़ रहा है कि 'कानून के बल वाली अधिसूचना' शब्द 'कानून' शब्द के अर्थ और दायरे के भीतर है, या क्या है, यदि चुनौती दी जाती है, तो अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए बाध्य है (जयंतीलाल अमरतलाल शोधन का मामला लंबित । तो फिर अगला सवाल यह उठता है कि क्या 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 6 की उप-धारा (2) के

तहत 'मौजूदा पंजाब राज्य' द्वारा पहली अधिसूचना, जिसमें उस अधिनियम की अनुसूची बी में आइटम 30 में संशोधन करने के अपने इरादे के बारे में तीन महीने का नोटिस दिया गया था, को कानून की अदालत में लागू किया जा सकता है या मान्यता दी जा सकती है? उत्तर तुरंत और स्पष्ट रूप से नकारात्मक है, क्योंकि न्यायालय 'मौजूदा पंजाब राज्य' को अधिसूचना में व्यक्त किए गए अपने इरादे को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। उस अधिसूचना को जारी करने के बाद, इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अभ्यावेदन या आपत्तियों पर, 'मौजूदा पंजाब राज्य' को अपना इरादा बदलने का अधिकार था। उसके पास अपने इरादे को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने या ऐसा न करने का विकल्प या विकल्प था। एक न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उस अधिसूचना को लागू नहीं कर सकता था या उसे मान्यता देने का अवसर नहीं मिल सकता था

ताकि 'मौजूदा पंजाब' को उस अधिसूचना के तहत अपने इरादे को पूरा करने और उस अधिनियम की अनुसूची बी में आइटम 30 में संशोधन करने के लिए आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया जा सके। न तो इसे लागू किया जा सकता है, न ही उस स्तर पर कानून की अदालत द्वारा इसे मान्यता देने का अवसर पैदा किया जा सकता है। निस्संदेह, यह 1948 के पंजाब अधिनियम 4एफ की धारा 6 की उप-धारा (2) में राज्य सरकार को दी गई सांविधिक शक्तियों के अनुसरण में और उसके अंतर्गत एक अधिसूचना थी। इस प्रकार यह अपने आप में एक वैध अधिसूचना थी। इस तरह इसकी वैधता पर संभवतः सवाल नहीं उठाया जा सकता है। हालांकि, यह पर्याप्त नहीं है। 1966 के अधिनियम 31 की धारा 2 (जी) के अनुसार कानून शब्द की परिभाषा का उत्तर देने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है कि वह अधिसूचना वैध होनी चाहिए, लेकिन जो आवश्यक है वह यह है

कि इसे कानून के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए, या इसकी मान्यता के लिए एक अवसर उत्पन्न होना चाहिए, ताकि इसे प्रभावी बनाया जा सके। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, यह 'मौजूदा राज्य बनाम पंजाब' के पास विकल्प या विवेक का मामला है कि वह अधिसूचना में दिए गए या व्यक्त किए गए अपने इरादे को पूरा करने के लिए आगे बढ़े या नहीं। इसलिए जबकि वह अधिसूचना अन्यथा मान्य है, यह एक अधिसूचना नहीं है जिसे कानून की अदालत में न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जा सकता है, और न ही कानून की अदालत द्वारा इसकी मान्यता का सवाल उस स्तर पर हो सकता है जिस स्तर पर मामला विचाराधीन है। इसका नतीजा यह हुआ कि 1 नवंबर, 1966 से पहले, 'मौजूदा पंजाब राज्य' के दिनों में यह अधिसूचना, हालांकि वैध थी, 'कानून' नहीं थी क्योंकि यह शब्द 1966 के अधिनियम 31 की धारा 2 (जी) में

परिभाषित है। यह केवल उन कानूनों की प्रयोज्यता है जो पहले से ही 'मौजूदा पंजाब राज्य' में लागू थे, जिन्हें 1966 के अधिनियम 31 की धारा 88 के आधार पर चांदगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सहित उत्तराधिकारी राज्यों में जारी रखा गया है। विचाराधीन अधिसूचना कानून न होने के कारण उस अधिनियम की धारा 88 के दायरे में नहीं आती है। 1 नवंबर, 1966 को जब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ अस्तित्व में आया, तो वह अधिसूचना कानून नहीं थी जो 1966 के अधिनियम 31 की धारा 88 के तहत उस पर लागू होती रही। उस तारीख से और उसके बाद से इस मामले में चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त के मुख्य आयुक्त, जो 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ सकते थे, जो उस अधिनियम की अनुसूची बी के किसी भी हिस्से में संशोधन करने के अपने इरादे को उचित नोटिस के साथ इंगित करते थे। यह स्पष्ट रूप

से नहीं किया गया है।

(6) इस मामले का एक अन्य पहलू भी है जिस पर विचार किया जा सकता है। 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत मुख्य आयुक्त, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा दूसरी अधिसूचना जारी किए जाने के बाद, इस अंतिम उल्लिखित अधिसूचना की वैधता और वैधता या अन्यथा पर विचार करने के मामले में उस अधिनियम की अनुसूची बी में आइटम 30 में संशोधन किया गया था। पंजाब के मौजूदा राज्य द्वारा अनुसूची ख की मद 30 में संशोधन करने का इरादा व्यक्त करते हुए उस अधिनियम पर विचार किया जाता है। प्रतिवादी की दूसरी अधिसूचना को वैध और कानून के भीतर माना जाता है, जो एक तरह से 24 अगस्त, 1966 को जारी और प्रकाशित 'मौजूदा पंजाब राज्य' द्वारा जारी और प्रकाशित पहली अधिसूचना को कानून की

अदालत द्वारा प्रभावी या मान्यता देने का तरीका है, जिसमें उस संशोधन को पूरा करने के अपने इरादे की सूचना दी गई है। लेकिन यह स्थिति केवल 1 नवंबर, 1966 को अस्तित्व में आने के बाद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के उत्तराधिकारी राज्य द्वारा किए गए कुछ से उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि निष्कर्ष यह है कि उस तारीख को पहली अधिसूचना ने 1966 के अधिनियम 31 की धारा 2 (जी) में 'कानून' शब्द की परिभाषा का जवाब नहीं दिया था। 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की अनुसूची बी के आइटम 30 में संशोधन करने वाले प्रतिवादी द्वारा दूसरी अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भी इस न्यायालय द्वारा इसे प्रभावी नहीं किया जा सकता है। इस मामले के तथ्यों में 'मौजूदा पंजाब राज्य' की पूर्व अधिसूचना, जो कानून नहीं है, प्रतिवादी को संशोधन करने के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसा कि किया गया

है। 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 6 की उप-धारा (2) के अनुसार शर्त को पूरा किए बिना किसी भी संशोधन को वैध नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए यह विचार भी प्रतिवादी के पक्ष में तर्क को आगे नहीं बढ़ाता है।

(7) इसका परिणाम यह हुआ कि 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत 'मौजूदा पंजाब राज्य' की 24 अगस्त, 1966 की अधिसूचना 1 नवंबर, 1966 से पहले कानून नहीं थी, और 1966 के अधिनियम 31 की धारा 2 (जी) में परिभाषित 'कानून' शब्द के अर्थ और दायरे के भीतर उस तारीख के बाद कानून नहीं रही है। नतीजतन अंतिम उल्लिखित अधिनियम की धारा 88 इसके प्रति आकर्षित नहीं है, और इस प्रकार उस अधिसूचना में कानून का बल नहीं है जिसके आधार पर प्रतिवादी द्वारा किया गया अंतिम संशोधन 1948 के पंजाब एएफटी 46 की धारा 6 की

उप-धारा (2) की शर्तों में किया जा सकता था। इसलिए, इस याचिका को स्वीकार किया जाता है, जिसमें 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की अनुसूची बी में आइटम 30 के विवादित संशोधन को अमान्य घोषित किया गया है और कानून के अनुसार संशोधन नहीं है। इस याचिका में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

बी.आर.तुली, न्यायमूर्ति- मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

पानीपत, हरियाणा